Union Territory Goods & Services Tax Rules, 2017

Union Territory Goods and Services Tax (Daman and Diu) Rules, 2017 Notification No. 8/2017 – Union Territory Tax, dt. 30-06-2017

In pursuance of sub-section (1) of section 22, read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules for the Union Territory of Daman and Diu, namely:-

Rule 1: Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Union Territory Goods and Services Tax (Daman and Diu) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर नियम, 2017

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (दमन और दीव) नियम, 2017 अधिसूचना क्रमांक 8/2017 — संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30.06.2017

केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, ^{*}2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) के अनुसरण में दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

नियम 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (दमण और दीव) नियम, 2017 है।
- (2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

राजपत्र में "1917" छपा है।